न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

प्र0नं0 — 34/2023
उन्वान : —

1. सुनिता पत्नी सीताराम जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा।

—प्रार्थीया

बनाम्

1. जयसिंह पुत्र जीराम जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा।
2. मांगेराम पुत्र जीराम जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा।
3. सोना पत्नी जीराम —फौत।

3/1 — लीलावती पत्नी महेन्द्र , लीलावती पुत्री सोना पत्नी जीराम निवासी खाराखेड़ा त0 टिब्बी।

3/2 — सरोज पुत्री सोना जाति जाट निवासी झांसल त0 भादरा।

3/3 — कलावती पुत्री सोना जाति जाट निवासी झांसल त0 भादरा।

3/4 — सुरेन्द्र पुत्र सोना जाति जाट निवासी झासंल त0 भादरा।

4. गिरधारी पुत्र ननूराम जाति जाट निवासी सरदारगढिया त0 भादरा।
5. जगमाल पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा।
6. रामसिंह पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा।
7. रणधीर पुत्र निहालसिंह जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा।
8. सीताराम पुत्र निहालसिंह जाति जाट निवासी मुन्सरी त0 भादरा।
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251</u>
<u>ए आरटीएक्ट सपठित धारा 8(2) राज0 कॉल0 ए</u>

उपस्थिति :—श्री पवन सिहाग प्रार्थीया
श्री कपूरचन्द षर्मा व राहिताष चौपड़ा अप्रार्थीगण

दिनांक: 27/1/25

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shiyran
Date: 2025.02.07 11:47:30 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है [illegible] मौजा 11 एमएसआर के खाता सं0 115/46 के मु0न0 32 के किला न0 2/2 [illegible] नहरी किला न0 7 ता 9 प्रत्येक की 0.253है0 नहरी कुल 1.100है0 [illegible] नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीया के चिपते ही अप्रार्थीगण की कृषि भूमि चक [illegible]1 एमएसआर के खसरा नं0 95/92 के मु0न0 18 के किला न0 14 ता 17, 24, 25/1, 25/2 मु0न0 29 के किला न0 3 ता 8, मु0न0 31 के किला न0 12, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 15/3,

Kalpit
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
हनुमानगढ़

2 किला न0 17 ता 19, 22 ता 24, 25/1, 25/2 मु0न0 40 के किला न0 2 ... 13 की कुल 7.8430है0 मय रास्ता अप्रार्थी सं0 1 ता 3 की कृषि भूमि स्थित है। ...अनुसार चक 11 एसएस के खाता सं0 18/18 के मु0न0 27 के किला न0 16 ता ...ता 25, मु0न0 28 के किला न0 18 ता 23, मु0न0 29 के किला न0 1, 2, 9 ता 18, 24/1, मु0न0 31 के किला न0 1, 2 किला न0 9/1, 9/2, 10, 11/1, ...मु0न0 32 के किला न0 2/1, 3 ता 6, 15/1, 15/2 की कुल 9.1970है0 मय ...अप्रार्थी गिरधारी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। एवं चक 11 एसएसआर के खाता ...87/84 में कुल 10.8790है0 मय रास्ता की भूमि अप्रार्थी जगमाल, रणधीर रामसिंह व ...राम के नाम हिस्सानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

...प्रार्थीया अपनी खातेदारी में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की कृषि भूमि मे से होकर रास्ता ...उपयोग करती है। उक्त रास्ता का आंशिक अंकन राजस्व रिकार्ड में है। रास्ता को ...खुलवाने हेतु प्रार्थीया ने दिनांक 26.09.2023 को एक आवेदन तहसीलदार भादरा के समक्ष प्रस्तुत किया गया व पटवारी रिपॉर्ट प्राप्त की गई जो संलग्न पत्रावली है। प्रार्थीया की कृषि भूमि में प्रवेश के लिए मु0न0 29 के किला न0 21 ता 25, मु0न0 30 के किला न0 1, 10 मु0न0 31 के किला न0 13 ता 15, 9, 11 मु0न0 32 के किला न0 15 में रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत है परन्तु मु0न0 30 के किला न0 10 व मु0न0 31 के किला न0 15 को मिलाने के लिए कोरनर पर रास्ता नहीं है मु0न0 31 के किला न0 12 में रास्ता स्वीकृत नही होने के कारण मु0न0 31 के किला न0 13 से 9 में प्रवेश के लिए व किला न0 9 से किला न0 11 में प्रवेश के लिए रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया को आवागमन करने से रोक दिया है। अतः प्रार्थीया उपरोक्तानुसार स्वीकृत रास्ता में वर्णित किलाजात के कॉर्नर पर रास्ता स्वीकृत करवा पाने की कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तामिल होने पर अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्तागण उपस्थित हुए। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच हेतु तहसीलदार भादरा से रिपॉर्ट प्राप्त की गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने कथन किया कि प्रार्थीया अपनी खातेदारी रोही मौजा 11 एमएसआर के खाता सं0 115/46 के मु0न0 32 के किला न0 2/2 की 0.0880है0 नहरी किला न0 7 ता 9 प्रत्येक की 0.253है0 नहरी कुल 1.100है0 में प्रवेश करने के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी के मु0न0 29 के किला न0 21 ता 25, मु0न0 30 के किला न0 1, 10 मु0न0 31 के किला न0 13 ता 15, 9, 11 मु0न0 32 के किला न0 15 में रास्ता राजस्व ... स्वीकृत रास्ता का उपयोग करती है। उक्त रास्ता में मु0न0 30 के किला न0 10 व मु0न0 31 के किला न0 15 को मिलाने के लिए कोने पर तथा मु0न0 31 के किला न0 12 ... कोने मिलाने के लिए मु0न0 31 के किला न0 13 से 9 में प्रवेश के लिए व किला न0 9 से किला न0 11 में प्रवेश के लिए रास्ता स्वीकृत नहीं है। वकील प्रार्थीया ने कथन किया कि तहसीलदार रिपॉर्ट दिनांक 09.05.2024 में भी उक्त कोने स्वीकृत होने पर रास्ता के सूचारू रूप से चालू होना बताया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.02.07 11:47:30 IST
Reason: SelfAttested

Kalpit
...(राजस्व)
(जिला-हनुमानगढ़)

अतः उक्तानुसार रास्ता स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने तहसीलदार भादरा की रिपोर्ट दिनांक 09.05.2024 एवं पुनः रिपोर्ट के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीया उक्त कृषि भूमि की मूल खातेदार नहीं है जरिये क्रय की जाकर प्रार्थीया खातेदार काश्तकार आयी है प्रार्थीया की ढाणी में प्रवेश के लिए उपरोक्त वर्णित रास्ता के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता भी है एवं तहसीलदार भादरा द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट भी एकपक्षीय है। उक्त रिपोर्ट तैयार करते समय अप्रार्थीगण को सूचना नहीं दी गई है अतः फिर से मौका रिपोर्ट मंगवायी जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर तहसीलदार भादरा की प्रथम जाच रिपॉर्ट का अवलोकन किया जाकर अप्रार्थीगण की आपत्ति स्वीकार की गई व पुनः मौका रिपॉर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार भादरा से दिनांक 14.06.2024 को द्वितीय रिपॉर्ट प्राप्त की गई। उभयपक्ष ने उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए न्यायालय में बहस की। प्रस्तावित रास्ता को तहसीलदार भादरा की रिपॉर्ट में लाल रंग से दर्शाया गया रास्ता राजस्व रिकार्ड में पूर्व में दर्ज है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रस्तावित रास्ता प्रकरण सं0 55/95 निर्णय दिनांक 15.01.1996 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा स्वीकृत होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन हुआ है। उक्त रास्ता वर्तमान में बंद है जिसे लेकर पक्षकारान के मध्य वाद – विवाद बना रहता है। तहसीलदार भादरा द्वारा दिखाये गये उक्त स्वीकृत शुदा रास्ता में भी मु0न0 30 के किला न0 10 व मु0न0 31 के किला न0 15 को मिलाने के लिए कोने पर तथा मु0न0 31 के किला न0 12 के कोने मिलाने के लिए मु0न0 31 के किला न0 13 से 9 में प्रवेश के लिए व किला न0 9 से किला न0 11 में प्रवेश के लिए रास्ता स्वीकृत नहीं है। जबकि प्रार्थीया द्वारा वर्तमान में आवागमन के रास्ता को नजरी नक्शा में आसामनी रंग से दर्शाया गया है जो मु0न0 39 के किला न0 4, 7, 14 के पूर्वी तरफ एवं मु0न0 32 के किला न0 17, 24 के पूर्वी तरफ दक्षिण से उत्तर दिशा में है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधान (बी) A tenant or a group of tentats intend to have a new way after the subdivisional officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that

i- the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of land
ii- particularly in case of a new way through another khatedars holding, that absence of alternative means of access poved may, be order -- के अनुसार पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रार्थीया प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य रास्ता नहीं होने का अभाव सिद्व नहीं कर पाई है एवं तहसीलदार भादरा द्वारा प्राप्त रिपॉर्ट का अवलोकन करने पर उक्त प्रस्तावित रास्ता केवल सुविधाजनक होना प्रतित होता है। परन्तु प्रार्थीया को

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.02.07 11:47:30 IST
Reason: SelfAttested

अपनी जोत तक पंहुच के लिए प्रार्थीया द्वारा उपयोग में लिए जा रहे वैकल्पिक रास्ता को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार एवं तहसीलदार भादरा की रिपोर्ट में दिखाये गये आसमानी रंग के अनुसार स्वीकार तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा चक 11 एमएसआर के मु0न0 39 के किला न0 4, 7, 14 के पूर्वी तरफ प्रत्येक किला में दक्षिण से उतर दिशा में 0.013है0 गै0मु0 रास्तां मु0न0 32 के किला न0 17, 24 के पूर्वी तरफ प्रत्येक किला में दक्षिण में 0.013है0 गै0मु0 रास्ता स्वीकृत किया जाकर एवं रास्ता की भूमि की एवज में अप्रार्थी सं0 5 ता 8 को राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि दरों का दुगना प्रतिकर दिलवाया जाकर ही उपरोक्तानुसार रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त करें।

निर्णय आज दिनांक 27/1/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.02.07 11:47:30 IST
Reason: SelfAttested